



BHIWADI INTEGRATED DEVELOPMENT AUTHORITY

भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण

एच - 5, भगत सिंह कॉलोनी, भिवाड़ी (अलवर)

दूरभाष : 01493 - 230344, 230819

E-MAIL: bida.bhiwadi@rajasthan.gov.in

क्रमांक : बीडा/आयोजना/2020-21/ 803/2021

दिनांक: 09/03/2021

संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 आशियाना हाउसिंग लि0
4 प्लोर, आशियाना विलेज सेन्टर,
वसुन्धरा नगर, भिवाड़ी

विषय:- मै0 आशियाना हाउसिंग लि0 ग्राम थडा तह0 तिजारा के ख0न0 152 से 156, 159 से 163, 355/165, 357/166, 168, 169, 171 से 174, 179 एवं ग्राम उदयपुर के खसरा नं0 197, 199, 201 से 205, 208 से 212, 227, 425, 426, 427, 178 से 183, 213, 215, 217, 222, 224, 225, 229, 232, 233, 416, 417, 421, 422 कुल किता 54 रकबा 20.58 है0 में से पार्सल ए क्षेत्रफल 35789.00 वर्ग मी0 के आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) उपयोग हेतु संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति एवं समयावृद्धि बाबत।

सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 21.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक. 21.12.2020 के अनुसार ग्राम थडा तह0 तिजारा के ख0न0 152 से 156, 159 से 163, 355/165, 357/166, 168, 169, 171 से 174, 179 एवं ग्राम उदयपुर के खसरा नं0 197, 199, 201 से 205, 208 से 212, 227, 425, 426, 427, 178 से 183, 213, 215, 217, 222, 224, 225, 229, 232, 233, 416, 417, 421, 422 कुल किता 54 रकबा 20.58 है0 में से पार्सल ए के खसरा नं0 169 पार्ट, 171 से 174, 179 ग्राम थडा तह0 तिजारा क्षेत्रफल 35789.00 वर्ग मी0 आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) उपयोग हेतु संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु बीडा की भवन मानचित्र समिति की 10वी बैठक दिनांक 19.01.2021 के एजेण्डा नं0 02 पर लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधित भवन मानचित्र निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते हैं।

- परियोजना की स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, मूल स्वीकृति से अधिकतम 7.5 वर्ष हेतु मान्य थी जो की बीपीसी के निर्णयानुसार अब 2 वर्ष समयावृद्धि एकीकृत भवन विनियम अनुसार तथा 6 माह कोविड के दृष्टिगत कुल 2.5 वर्ष अतिरिक्त अनुमत की जाती है।
- मूल भवन निर्माण अनुमति पत्र दिनांक 05.01.2015 एवं संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र दिनांक 15.01.2018 एवं दिनांक 30.08.2019 एवं 27.10.2020 की समस्त शर्त यथावत मान्य होगी।
- भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं स्वीकृति भवन विनियमों प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
- गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
- भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, बीडा को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी बीडा में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
- उक्त स्वीकृति के कारण यदि बीडा को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
- विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से बीडा को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
- स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
- स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
- स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।

11. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
12. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रैनेज, सीवरेज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, रनानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
13. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
14. पार्किंग का प्रावधान एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार सैट बैक एवं स्टिल्ट क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
15. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि बीडा द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि बीडा कोष में जमा करानी होगी।
16. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
17. भवन का कुर्ची तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
18. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
19. बीडा की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
20. एकीकृत भवन विनियम 2017 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
21. कम्प्लीशन प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
22. नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाईन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
23. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्ररम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा बीडा में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
24. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
25. बीडा द्वारा पूर्व स्वीकृति के अनुसार EWS/LIG की लॉटरी विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत नम्बरींग अनुसार निकाली जा चुकी है। अतः उसकी पालना विकासकर्ता द्वारा जानी होगी।
26. विकासकर्ता द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।

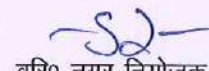

वरिष्ठ नगर नियोजक
बीडा भिवाड़ी

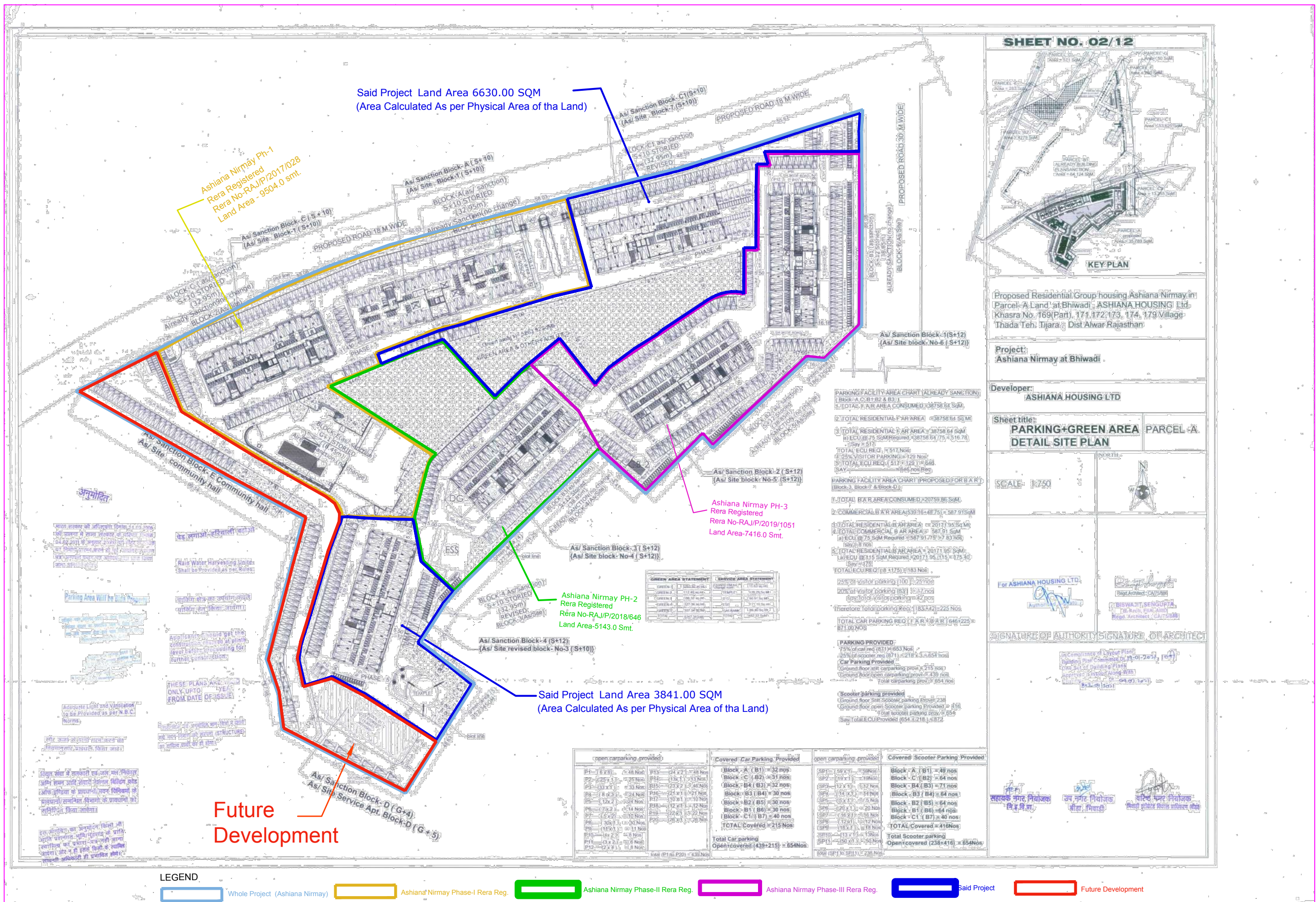
संलग्न:- भवन मानचित्र (12-)

क्रमांक: आयोजना/

दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, बीडा भिवाड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


वरिष्ठ नगर नियोजक
बीडा भिवाड़ी



Design as per Consultancy services organization on CPWD

Harvesting Recharge Pit Design Calculation

Sl No	Type of Surface	Catchment Area	Rain Coefficient	Peak intensity of Rainfall	Discharge Rate of
		SqM		mm/hour	cum/hour
1	Building (Roof top)	6.654	0.70	45	31
2	Roading Area	10.098	0.80	45	36
3	Green Area	6.039	0.15	45	5
4	Total				96

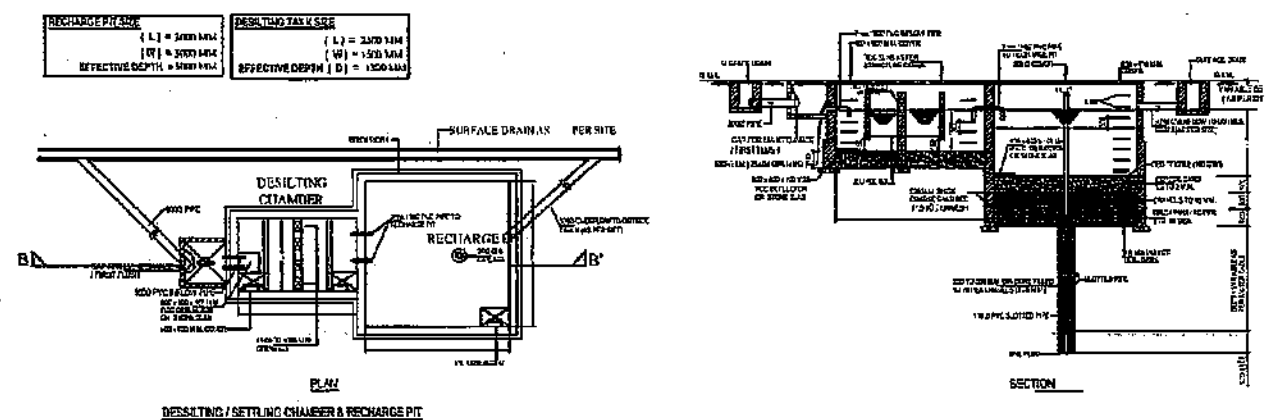
The capacity of recharge tank is designed to retain runoff for at 15minutes of rainfall of the peak intensity

15 minutes = 0.25 hour

Then capacity of Tank = **242 cum**

Volume of rain recharge pit = **3.3 x 3.3 x 3 = 37 cum**

Total nos of pit required = **9 Nos**



NOTE:
1) ALL BRICK WORK / BAFFLE WALL IN RWH SHALL BE STRICTLY AS PER STRUCTURE CONSULTANTS DESIGN & DETAIL.
2) THE BOREWELL PIPE OF RECHARGE PIT SHOULD BE LEFT ATLEAST 5 M ABOVE THE KNOWN HIGHEST WATER TABLE TO AVOID ANY POSSIBLE POLLUTION TO THE AQUIFER

[illegible]

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in
Parcel- A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd.
Khasra No. 169(Part), 171,172,173, 174, 179 Village
Thada Teh. Tijara ; Dist Alwar Rajasthan

Project:
Ashiana Nirmay at Bhiwadi

Developer:
ASHIANA HOUSING LTD

Sheet title: MAIN SITE PLAN	PARCEL -A
---------------------------------------	-----------

SCALE- 1:750



For ASHIANA HOUSING LTD


Authorised Signatory

SIGNATURE OF AUTHORITY SIGNATURE OF ARCHITECT

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 19.01.2021, 100f/
One Set of Building Plans
Approved & Issued Along With
Letter No. 0888/2021 Dt. 03.03.2021

ARRANGEMENT OF EWS & LIG UNIT CHART

ASHIANA TOWN PARCEL - B1

TYPES GROUND FLOOR	NO OF UNIT	AREA IN SqM	TOTAL
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	7	34.1768-523.07	603.27
1ST. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
2nd. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
3rd. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
4th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
5th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
6th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
7th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
8th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
9th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
10th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
11th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
12th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
13th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
14th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
15th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
16th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
17th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
18th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
19th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
20th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
21st. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
22nd. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
23rd. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
24th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
25th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
26th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
27th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
28th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
29th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
30th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
31st. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWB	15	33.8009-302.40	
LUG	14	34.1768-523.07	597.42
32nd. FLOOR	NO OF UNIT		

ASHIANA NIRMAY PARCEL -A

4th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	TOTAL
EWS	7	34.70X102.51	3,561.91
LWS	1	33.60X101.12	3,396.96
		1.53X51.11=51.33	288.26
5th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWS	15	33.60X102.40	3,436.80
LWS	1	34.17X106.25	3,617.42
		1.53X51.28=78.36	1216.12
6th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWS	15	33.60X102.40	3,436.80
LWS	1	34.17X106.25	3,617.42
		1.53X51.28=78.36	1216.12
7th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWS	1	33.60X101.30	3,396.00

ASHIANA GAMMA PARCEL - C1.

7th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	TOTAL
EWG	14	31.6000+302.001	
LIG		34.1700+205.001	178.82
		51.3504+236.001	
		50.6310+309.001	1165.50
8th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWG	15	33.6000+302.001	
LIG		34.1700+205.001	507.42
		51.3504+236.001	
		50.6310+309.001	1210.12
9th. FLOOR	NO OF UNIT	AREA	
EWG	15	33.6000+302.001	
LIG		34.1700+205.001	507.42
		51.3504+236.001	
		50.6310+309.001	1210.12
TOTAL AREA=3223.76			7218.54

अनुमोदित
भारत सरकार की अधिकृतता
की पालना में राज्य सरकार
04.02.2011 के अनुत्तर 2000
का निर्माण प्रारम्भ करने से
पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेद
जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will be Bida Property

एकीकृत भवन विनिर्माण 2017 के दिना निर्देशों के अनुसार
वर्षाजल संग्रहण का प्रस्तावित भवन में निम्नलिखित व्यवस्था
रखा जावे अथवा दीला जाय भवन निर्माता के विरुद्ध
निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का विद्यमान सरल व्यवधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, मल, निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इंडिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

As/ Sanction Block-3 (S+12)
 {As/ Site block- No-4 (S+12)}

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/मुखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व को सिद्ध कर पाया जावेगा।

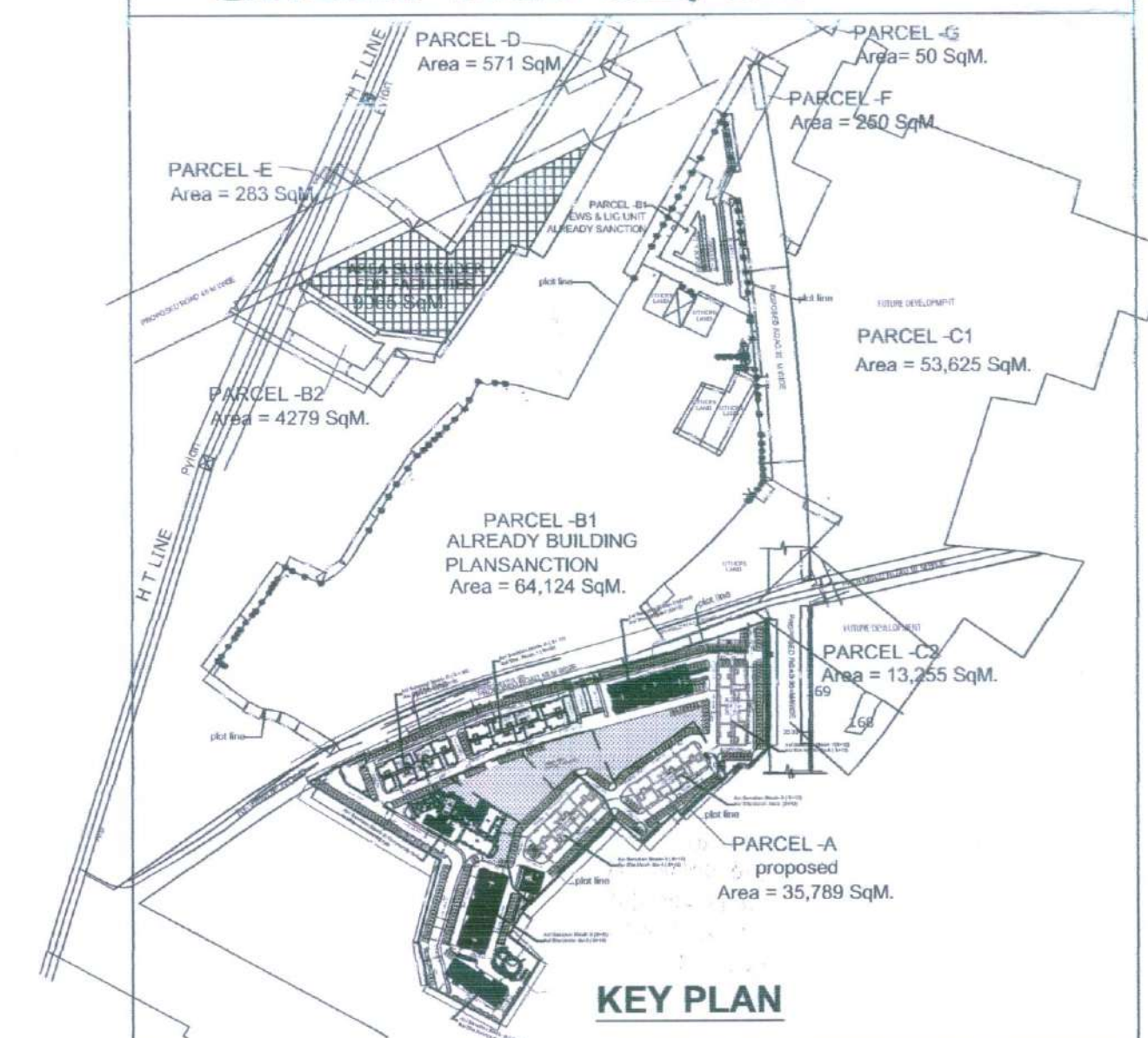
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

**Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules**

THESE PLANS ARE VAL
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का वांछित प्रार्थी का ही होगा।"

Sl. No.	TYPE	No of FLOORS	No of 3 BHK UNIT	No of 2 BHK UNIT	No of 1 BHK UNIT	No of 1 Room UNIT SERVICE APT.	No of UNIT	No of BLOCKS	BUILT UP AREA	DEDUCTION		NET F.A.R AREA	REMARKS
										BLOCK WISE Stairs+Lifts+Corridor +Balcony+Store +Ward robe & Community Hall area			
	BLOCK- A (B1)(Residential)	S+10	80 Nos	Nill	Nill	Nill	80 Nos	1	11,220.08 Sq.M.	2,961.32 Sq.M.		8,258.76 Sq.M.	ALREADY SANCTIONED
	BLOCK- B1 (B6) (Residential)	S+12	24 Nos	48 Nos	24 Nos	Nill	96 Nos	1	10,683.45 Sq.M.	2636.45 Sq.M.		8,047.00 Sq.M.	ALREADY SANCTIONED
	BLOCK- B2 (B5) (Residential)	S+12	24 Nos	48 Nos	24 Nos	Nill	96 Nos	1	10,683.45 Sq.M.	2636.45 Sq.M.		8,047.00 Sq.M.	ALREADY SANCTIONED
	BLOCK- B3 (B4)(Residential)	S+12	24 Nos	48 Nos	24 Nos	Nill	96 Nos	1	10,683.45 Sq.M.	2636.45 Sq.M.		8,047.00 Sq.M.	ALREADY SANCTIONED
	BLOCK- B4 (B3) (Residential)	S+10	40 Nos	20 Nos	20 Nos	Nill	80 Nos	1	9034.71 Sq.M.	2108.20Sq.M.		6926.51 Sq.M.	REVISED
	BLOCK- C (B2) (Residential)	S+10	Nill	60Nos	20 Nos	Nill	80 Nos	1	8,528.57 Sq.M.	2,169.69 Sq.M.		6,358.88 Sq.M.	ALREADY SANCTIONED
	BLOCK- C1(B7) (Residential)	S+10	50 Nos	20Nos	Nill	Nill	70 Nos	1	9110.92 Sq.M.	2045.79 Sq.M.		7016.38 Sq.M.	REVSED
	BLOCK- D (Service Apt.)	G+5	—	—	—	44 Nos	—	1	2614.235sqm	641.55 Sq.M.		1654.04 Sq.M.(Comm)	REVISED
	BLOCK- D (G/Gf Commercial)	G+1	—	—	—	—	—	1	1850.69 SqM	0.00		318.64Sq.M.(Comm)	ALREADY SANCTIONED
	BLOCK- E (Community hall)	—	—	—	—	—	—	—	34,480.65 Sq.M.	17,895.90 Sq.M.		54,722.96 Sq.M.	



Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in Parcel- A Land at Bhiwadi, ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 169(Part), 171,172,173, 174, 179 Village Thada Teh. Tijara; Dist Alwar Rajasthan

Project:
Ashiana Nirmay at Bhiwadi

Developer:
ASHIANA HOUSING LTD

Sheet title:
PARKING+GREEN AREA PARCEL - A
DETAIL SITE PLAN

SCALE- 1:750

NORTH:-



For ASHIANA HOUSING LTD.

Authorized Signatory

Regd. Architect: CA/75/886
BISWAJIT SENGUPTA
B. Arch, FIIA, AIID
Regd. Architect: CA/75/886

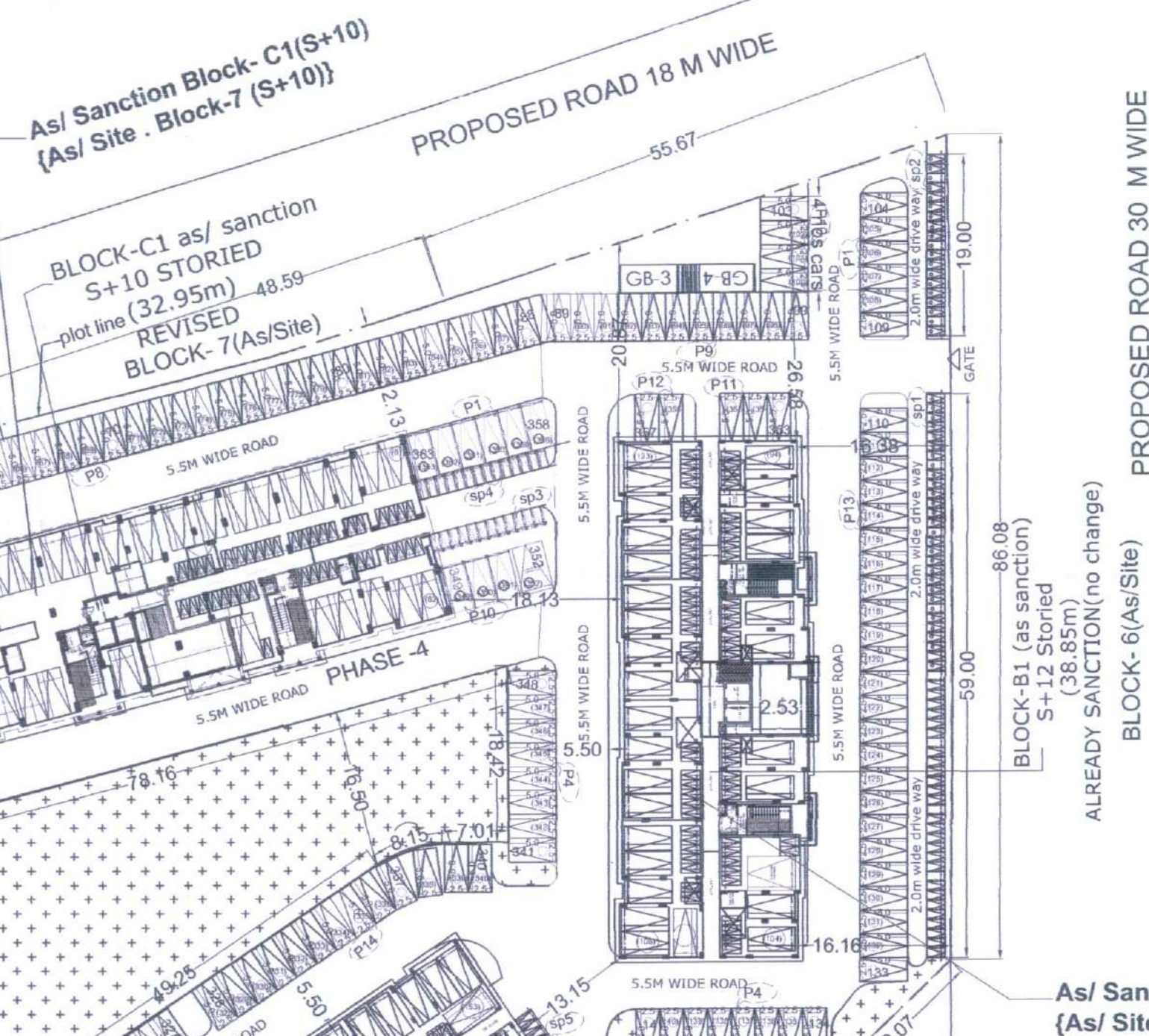
SIGNATURE OF AUTHORITY SIGNATURE OF ARCHITECT

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt.13-01-2021, 1007
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 01-03-2021
803-01/2021

सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.पा.

उप नगर नियोजक
बी.डी. मिवाडी

वरिष्ठ प्लान नियोजक
मिवाडी इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर (बी.डी.)



PARKING FACILITY AREA CHART (ALREADY SANCTION)
(Block-A, C, B1, B2 & B3.)

1. TOTAL F A R AREA CONSUMED = 38758.64 SqM.
2. TOTAL RESIDENTIAL F A R AREA = 38758.64 SqM.
3. TOTAL RESIDENTIAL F A R AREA = 38758.64 SqM
a) ECU @ 75 SqM Required = 38758.64 / 75 = 516.78
Say = 517
4. 25% VISITOR PARKING = 129 Nos
5. TOTAL ECU REQ. (517 + 129) = 646
SAY = 646 nos Req.

PARKING FACILITY AREA CHART (PROPOSED FOR B A R)
(Block-3, Block-7 & Block-D)

1. TOTAL B A R AREA CONSUMED = 20759.86 SqM.
2. COMMERCIAL B A R AREA (539.16+48.75) = 587.91 SqM
3. TOTAL RESIDENTIAL B A R AREA = 20171.95 SqM
4. TOTAL COMMERCIAL B A R AREA = 587.91 SqM
a) ECU @ 75 SqM Required = 587.91 / 75 = 7.83 nos
say = 8 nos
5. TOTAL RESIDENTIAL B A R AREA = 20171.95 SqM
a) ECU @ 115 SqM Required = 20171.95 / 115 = 175.40
Say = 175

TOTAL ECU REQ. (8 + 175) = 183 Nos

25% of Visitor parking (100) = 25 nos

20% of Visitor parking (83) = 17 nos

say Total Visitor parking = 42 nos

Therefore Total parking Req. (183 + 42) = 225 Nos

TOTAL CAR PARKING REQ (F A R + B A R) 646 + 225 = 871.00 NOS

PARKING PROVIDED

75% of car req (871) = 653 Nos

25% of scooter req (871) = 218 x 3 = 654 nos

Car Parking Provided

Ground floor stilt carparking provi = 215 nos

Ground floor open carparking provi = 439 nos

Total carparking prov. = 654 nos

Scooter parking provided

Ground floor Stilt Scooter parking Provi = 238

Ground floor open Scooter parking Provided = 416

Total scooter parking prov. = 654

Say Total ECU Provided (654 + 218.) = 872

GREEN AREA STATEMENT	SERVICE AREA STATEMENT
GREEN-1 3263.82 sq.mt.	GUARD RM incl change room 15.63 sq.mt.
GREEN-2 112.40 sq.mt.	TEMPLE 128.29 Sq.M.
GREEN-3 186.32 sq.mt.	D.G. 80.91 Sq.M.
GREEN-4 327.36 sq.mt.	ESS 171.10 Sq.mt.
GREEN-5 357.34 sq.mt.	GAS BANK 86.40 Sq.mt.
TOTAL 6247.34 SqM	TOTAL 462.33 Sq.M.

total (P1 to P20) = 439 Nos

open carparking provided	Covered Car Parking Provided	open carparking provided	Covered Scooter Parking Provided
P1—(6 x 8) = 48 Nos	Block - A (B1) = 32 nos	SP1—(59 x 1) = 59 Nos	Block - A (B1) = 49 nos
P2—(25 x 1) = 25 Nos	Block - C (B2) = 31 nos	SP2—(19 x 1) = 19 Nos	Block - C (B2) = 64 nos
P3—(33 x 1) = 33 Nos	Block - B4 (B3) = 32 nos	SP3—(12 x 1) = 12 Nos	Block - B4 (B3) = 71 nos
P4—(8 x 3) = 24 Nos	Block - B3 (B4) = 30 nos	SP4—(14 x 1) = 14 Nos	Block - B3 (B4) = 64 nos
P5—(12 x 2) = 24 Nos	Block - B2 (B5) = 30 nos	SP5—(5 x 1) = 5 Nos	Block - B2 (B5) = 64 nos
P6—(7 x 2) = 14 Nos	Block - B1 (B6) = 30 nos	SP6—(20 x 1) = 20 Nos	Block - B1 (B6) = 64 nos
P7—(5 x 2) = 10 Nos	Block - C1 (B7) = 40 nos	SP7—(16 x 1) = 16 Nos	Block - C1 (B7) = 40 nos
P8—(30 x 1) = 30 Nos	TOTAL Covered = 215 Nos	SP8—(12 x 1) = 12 Nos	TOTAL Covered = 416 Nos
P9—(11 x 1) = 11 Nos	Total Car parking	SP9—(18 x 1) = 18 Nos	Open+covered (238+416) = 654Nos
P10—(4 x 2) = 8 Nos	Open+covered (439+215) = 654Nos	SP10—(13 x 1) = 13 Nos	
P11—(3 x 2) = 6 Nos		SP11—(50 x 1) = 50 Nos	
P12—(2 x 4) = 8 Nos			
total (P1 to P20) = 439 Nos		total (SP1 to SP11) = 238 Nos	

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 'पर्यावरण प्रमाण पत्र' अथवा 'पर्यावरण प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will be Bida Property

संविदा पत्र दिनांक 2017 के तहत निर्माण के लिए निर्माण क्षेत्र का प्रस्तावित प्लान में निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 'पर्यावरण प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र दिनांक 2017 के तहत निर्माण के लिए निर्माण क्षेत्र का प्रस्तावित प्लान में निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 'पर्यावरण प्रमाण पत्र' प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का प्रियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं, जल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशानगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी की प्रभावित होगी।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO YEAR FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दशांगे गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ती का ही होगा।"

As/ Sanction Block- D (G+4)
As/ Site Service Apt. Block-D (G+5)

SHEET NO.03/12

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2005 की पालना में राज्य सरकार को परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर को शैलिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "प्रशासनिक प्रमाण पत्र" अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक त्वसे प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will be Sida Property

एकिकृत धन विनियम 2017 के तहत निवेश के अनुमति
वर्षागत संचयन का प्रस्तावित भुगतान में विशेष प्रावधान
रखा जाये अन्यथा बीजा द्वारा धन निर्माता के विशद
नियमावली कार्यालयों से जारी

प्रमाणित प्रतः सितम्बर २०१७ के
विश्व विद्यालय के कार्यक्रम वार्षिक रूप से
अनुसंधान प्रयोगों के लिए प्रस्तावित करने
में विश्व विद्यालय द्वारा जारी है।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

हिंजु सभा में नलकाटी एवं जल, भूत, नियन्त्रण
अग्नि हामन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमान किसी भी भाति प्रशन्नगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। ओर न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिचर्चा ही प्रभावित होगे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Applicants should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in
Parcel -A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd.
Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village
Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:-	ASHIANA NIRMAY AT BHIWADI
------------------	------------------------------

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- GROUND FLOOR PLAN
FIRST FLOOR PLAN
& FRONT ELEVATION (MKD-1)

SCALE- 1:100

BLOCK-4
As/Sanction)
Block-3 as/s
Residence

NORTH

variable/site plan

For **ASHIANA HOUSING LTD.**

Regd. Architect : CA/75/886

Authorized Signatory

SIGNATURE OF AUTHORITY	SIGNATURE OF ARCHITECT
------------------------	------------------------

In Compliance of Layout Plan)
Building Plan Committee Dt. 19-01-2021, 10A.
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. 803-04/2021 Dt. 09-03-2021

सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्रा.

उप नगर नियोजक
बीड़ा, भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
मिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडी)



SCHEDULE OF DOOR & WINDOWS					
S.NO.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	CL. LEV.	LN. LEV.
D		1.050	2.100	0.00	2.100
D1		0.910	2.100	0.00	2.100
D2		0.750	2.100	0.00	2.100
SD		2.000	2.350	0.00	2.350
SD1		2.000	2.350	0.150	2.350
W1		1.525	1.800	0.00	2.350
W2		0.900	1.800	0.00	2.350
W3		0.900	1.300	1.050	2.350
W4		0.800	0.900	1.450	2.350

PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in Parcel -A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:- ASHIANA NIRMAY
AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- TYPICAL FLOOR PLAN
SIDE ELEVATION MKD-2
REAR ELEVATION MKD-3

SCALE- 1:100

BLOCK-4
As/Sanction)
**Block-3 as/site
Residence**

NORTH
variable/site plan

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2015 की पालना में राज्य सरकार को परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रस्ताव करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव" अलापन प्रमाण पत्र आवश्यक प्रावधानों के अनुरूप अनिवार्य होगा।

REAR ELEVATION MKD-3

संशुद्ध पत्र दिनांक 2017 के दिनांक के अनुसार लोकल विकास का प्रस्तावित भवन में किए गए रख रखे अलापन प्रमाण पत्र निर्माण के लिए निर्माण प्रमाण पत्र की कोणी

संशुद्ध पत्र दिनांक 2017 के दिनांक के अनुसार लोकल विकास का प्रस्तावित भवन में किए गए रख रखे अलापन प्रमाण पत्र निर्माण के लिए निर्माण प्रमाण पत्र की कोणी

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एच,जल,निकास आदि श्रम आदि सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्पत्ती अधिकारी ही सम्पत्ति होगे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Applicants should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

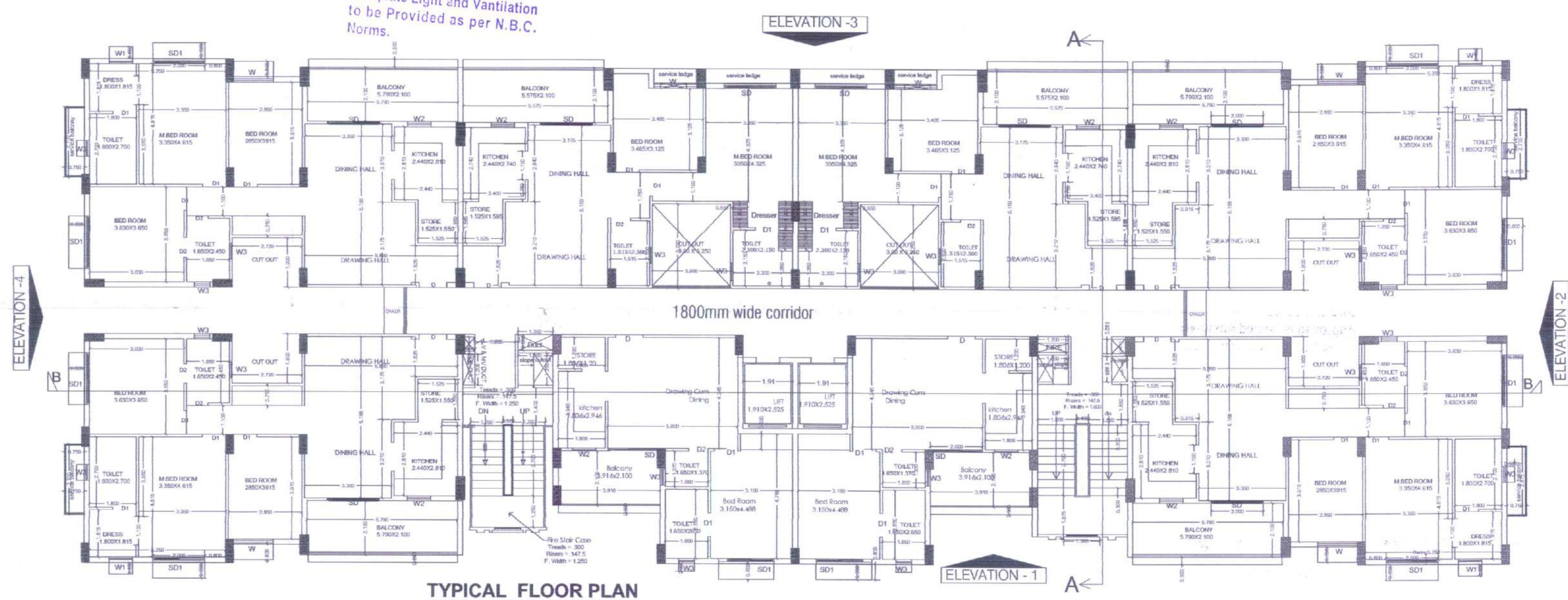
THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

SIDE ELEVATION MKD-2

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में कहीं गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का सहित धार्य ही होगा।"

Parking Area Will be Bida Property

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.



For ASHIANA HOUSING LTD.

Authorised Signatory

Regd. Architect : CA/75/886

BISWAJIT SENGUPTA
B. Arch, FIA, A/ID
Regd. Architect : CA/75/886

SIGNATURE OF AUTHORITY SIGNATURE OF ARCHITECT

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 19.01.2021, 10th
One Set of Building Plans.
Approved is issued Along-With
Letter No. 04/2021 Dt. 09.03.2021

सहायक नगर नियोजक
मि.इ.प्र.प्र.

उप नगर नियोजक
बीड़ा, मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
मिवाडी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडी)

SHEET NO.05/12

SCHEDULE OF DOOR & WINDOWS					
S.NO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	CALL. LEV.	LINE. LEV.
D	1.050	2.100	0.00	2.100	
D1	.910	2.100	0.00	2.100	
D2	.750	2.100	0.00	2.100	
SD	2.000	2.350	0.00	2.350	
SD1	2.000	2.350	0.150	2.350	
W1	1.625	1.600	.750	2.350	
W2	0.800	1.600	.750	2.350	
W3	.900	1.300	1.050	2.350	
W4	.600	0.900	1.450	2.350	

PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in Parcel -A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:- ASHIANA NIRMAY
AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- 8TH. FLOOR PLAN
SIDE ELEVATION MKD-4
SECTION AT B-B

SCALE- 1:100

BLOCK-4
As/Sanction)
**Block-3 as/site
Residence**

NORTH
variable/site plan

For ASHIANA HOUSING LTD.

Authorised Signatory

Regd. Architect : CA/75/886

BISWAJIT SENGUPTA
B. Arch, FIA, AIID
Regd. Architect : CA/75/886

SIGNATURE OF AUTHORITY

SIGNATURE OF ARCHITECT

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee No. 19-01-2014, 10th
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. DT/2014-2015-2016

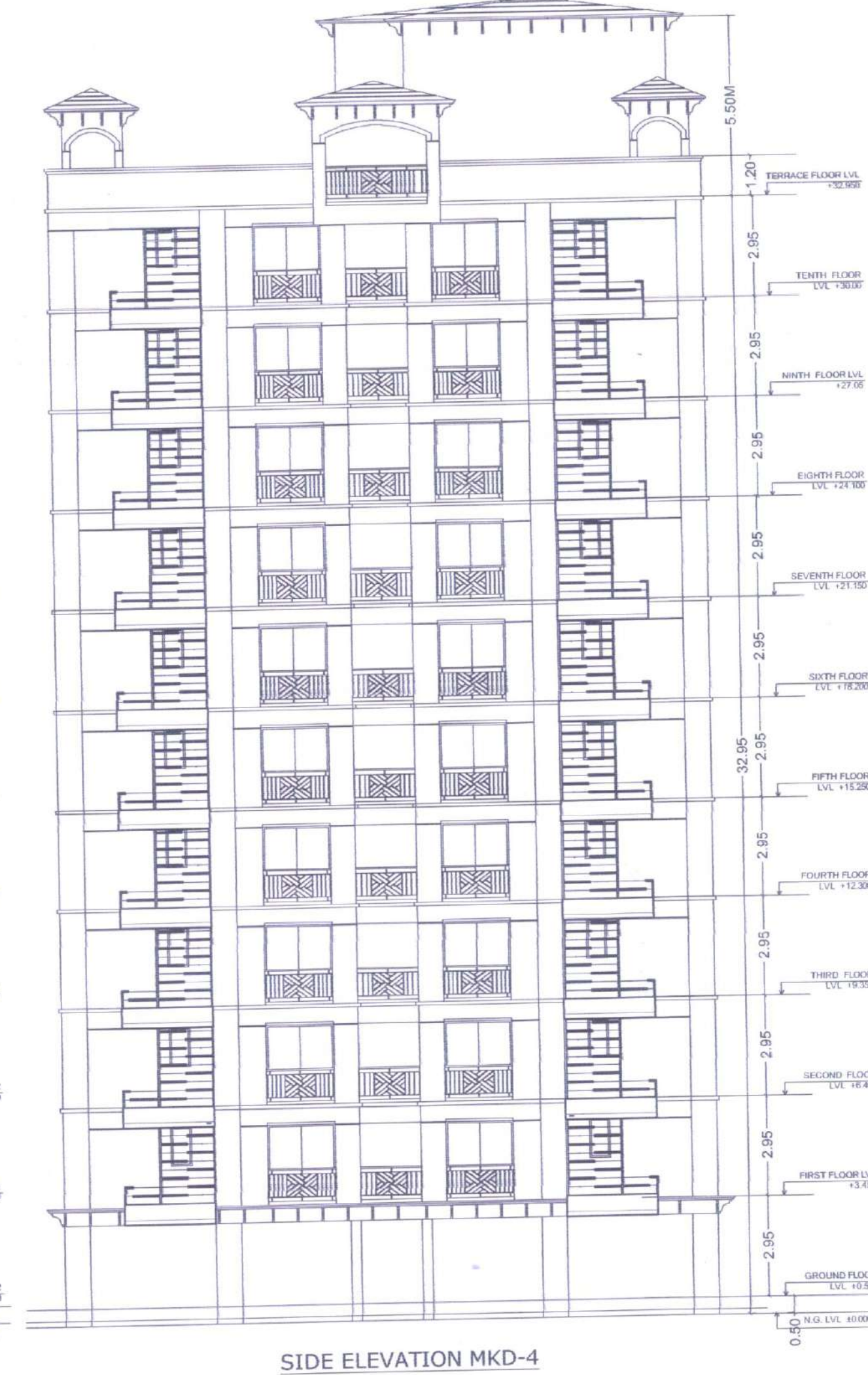
सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्रा.

उप नगर नियोजक
बीड़ा, मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
मिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडी)



SECTION AT B-B



SIDE ELEVATION MKD-4

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का
नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/मवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्यक्त विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति परामर्श भूमि/भूखण्ड को प्राप्ति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जावेगा। और न ही इसके किसी भी स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदित मल-निकास में दबावे
गये मवन निर्माण को सरचना (STRUCTURE)
का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

अनुमोदित

भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 14.09.2006
की पालना में राज्य सरकार के परिषद दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण परम्प करने से पूर्व "परामर्शित प्रमाण
पत्र" प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा इसका
कार्य अमान्य होगा।

Parking Area Will be Bida Property

स्वीकृत मवन विनियम 2017 के नियमों के अनुसार
कोई सड़क का अतिक्रमण मवन में किए जायेगा
रखा जाये अथवा बीडा इलाका मवन निर्माण के लिए
विद्यमान कोडों के अनुसार

आवश्यकता अनुसार 2017 के
नियमों के अनुसार कोडों के अनुसार
कोई सड़क का अतिक्रमण मवन में किए जायेगा
रखा जाये अथवा बीडा इलाका मवन निर्माण के लिए
विद्यमान कोडों के अनुसार

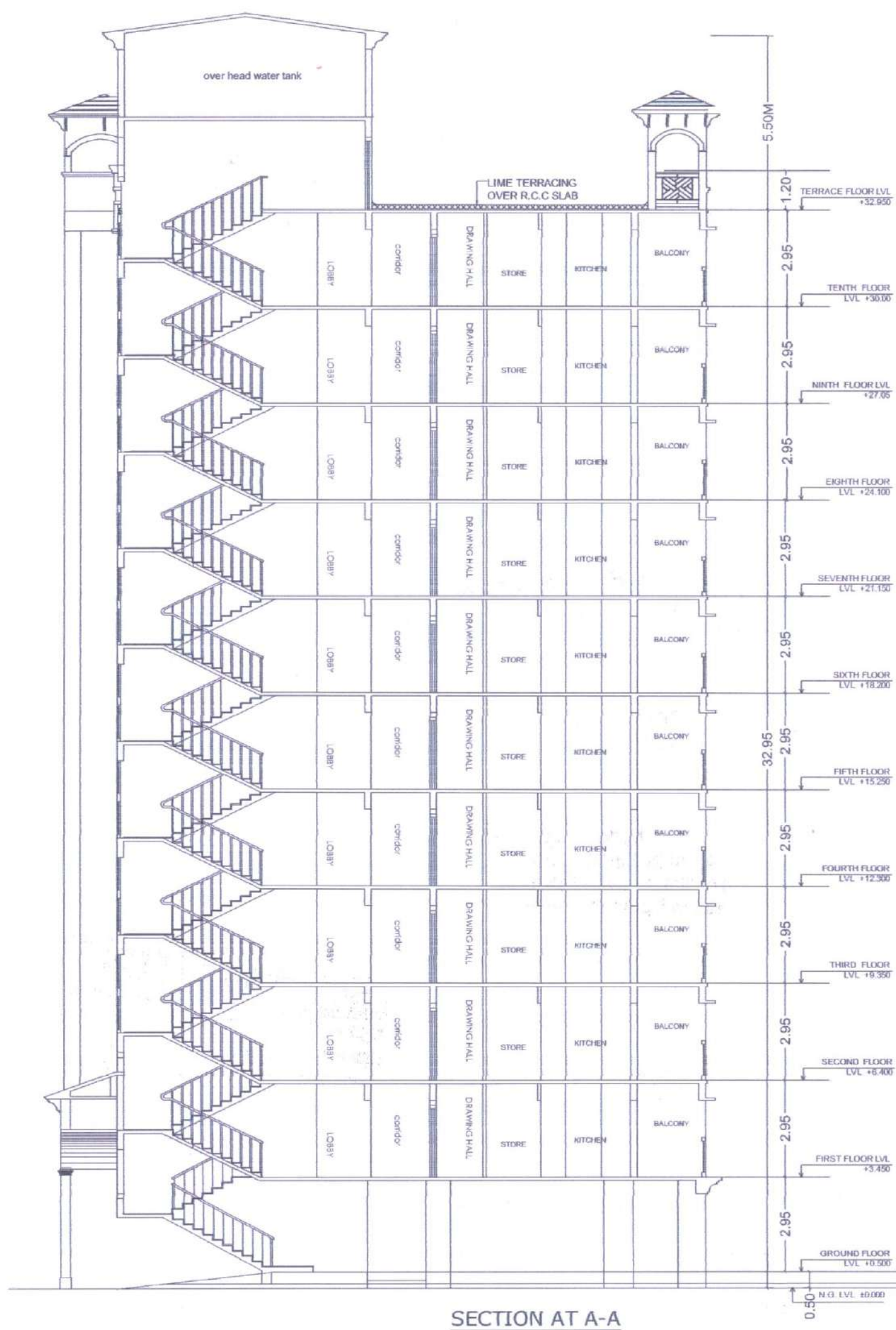
Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Applicants Should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.



SECTION AT A-A

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के वरिष्ठ दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "परिचालन प्रणाली पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेदन द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will be Bida Property

एकीकृत पत्र दिनांक 2017 के दिनांक दिनांक के अनुसार कार्यवाही संख्या का प्रत्येक पत्र में दिनांक प्रमाण पत्र को अपनाना और इस पत्र पत्र पत्र के दिनांक दिनांक दिनांक की जांचें।

एकीकृत पत्र दिनांक 2017 के दिनांक दिनांक के अनुसार कार्यवाही संख्या का प्रत्येक पत्र में दिनांक प्रमाण पत्र को अपनाना और इस पत्र पत्र पत्र के दिनांक दिनांक दिनांक की जांचें।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा में मलकारी एवं, जल, मल, निकास अग्नि शमन आदि सेवाएँ मेहनत बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को सुनिश्चित किया जायेगा।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशंगत भूमि/भूखण्ड के प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

पड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unit Shall be Provided as per Rules.

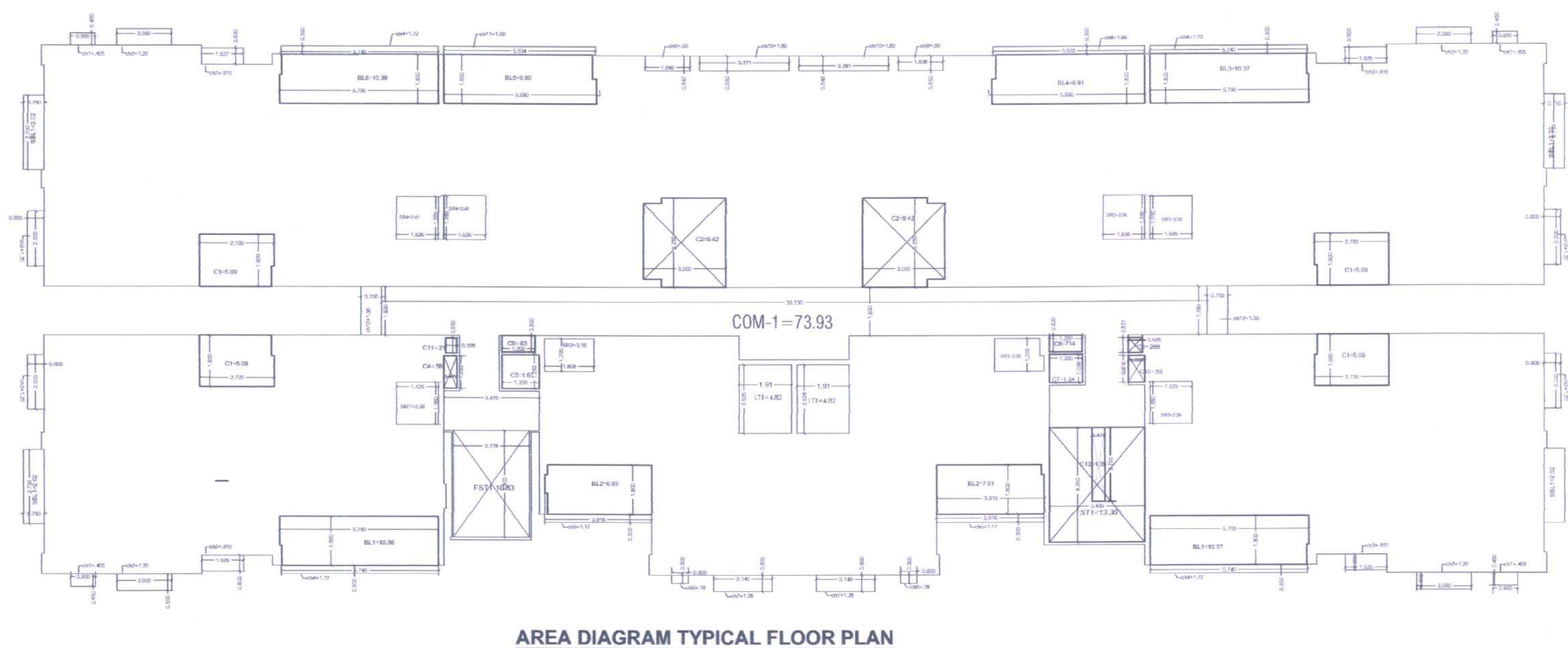
पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

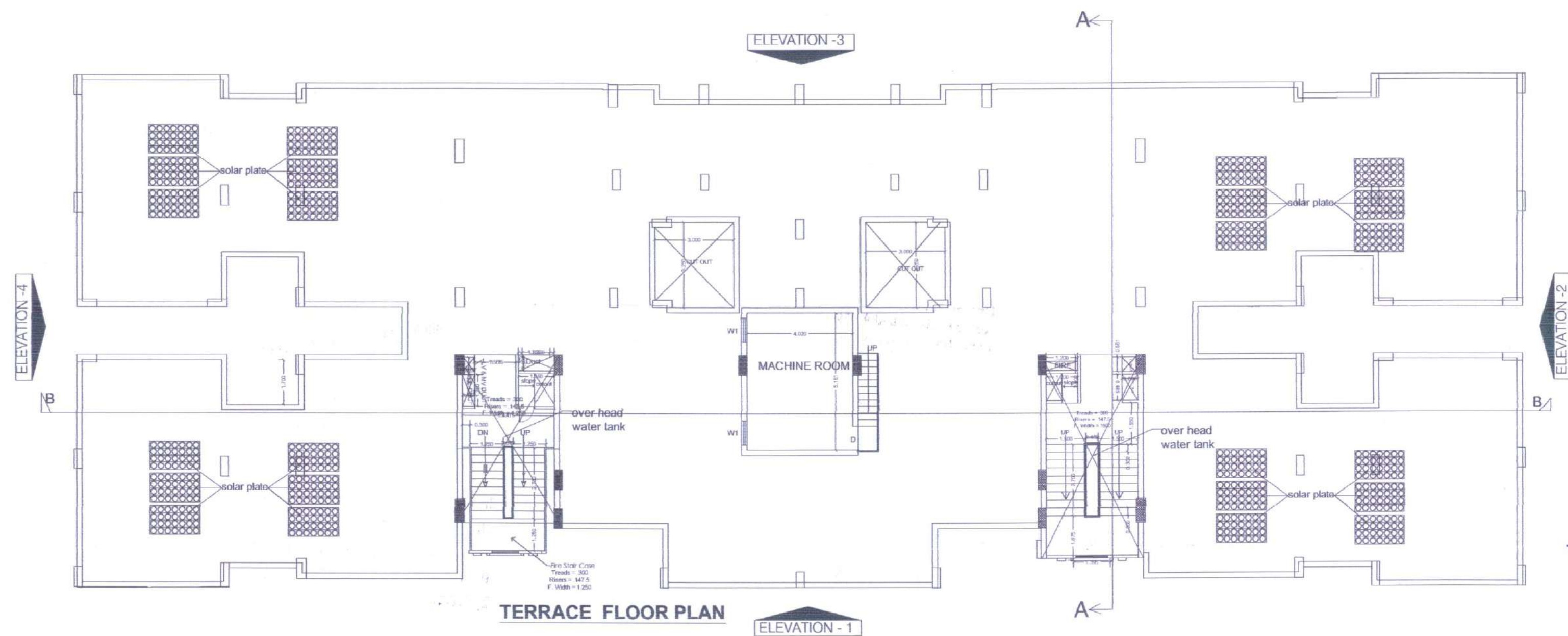
THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO YEAR FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्राप्ति का ही होगा।"

BLOCK - 3(BALCONY 2.10 M)																
FLOOR NAME	G.B.U.A.	CHAJJA	CUT OUT	FIRE STAIR	LIFT	BAR	BALCONY	WARDROB	STAIR	CORRIDOR	STORE	TOTAL	F.A.R	NO.OF UINT	NO.OF BLOCK	
BASEMENT																
STILT FLOOR	114.10		6.12			107.98							10.28	0		
1st FLOOR	966.13	34.66	46.65	10.83	9.64	864.35	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	663.30	8		
2nd FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
3rd FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
4th FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
5th FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
6th FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
7th FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
8th FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
9th FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
10th FLOOR	1001.39	38.45	46.65	10.83	9.64	895.82	95.31	0.00	13.30	73.93	18.51	201.05	694.77	8		
TERRACE	79.52															
TOTAL	10172.26	380.71	472.62	108.30	96.40	9034.71	953.10	0.00	133.00	739.30	185.10	2010.50	6926.51	80	1NOS	



AREA DIAGRAM TYPICAL FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN

PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in Parcel -A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:- ASHIANA NIRMAY AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- AREA DIAGRAM SECTION AT A-A, TERRACE FLOOR PLAN

SCALE- 1:100 BLOCK-4 As/Sanction) Block-3 as/site Residence NORTH variable/site plan

For ASHIANA HOUSING LTD.

Authorised Signatory

SIGNATURE OF AUTHORITY SIGNATURE OF ARCHITECT

In Compliance of Layout Plan/ Building Plan Committee Dt... 19-01-2021, 10th One Set of Building Plans Approved is issued Along-With Letter No. Dt... 09-03-2021

सहायक नगर नियोजक भि.इ.वि.प्र.

उप नगर नियोजक बीड़ा, भिवाड़ी

वरिष्ठ नगर नियोजक भिवाड़ी इन्टीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीई)

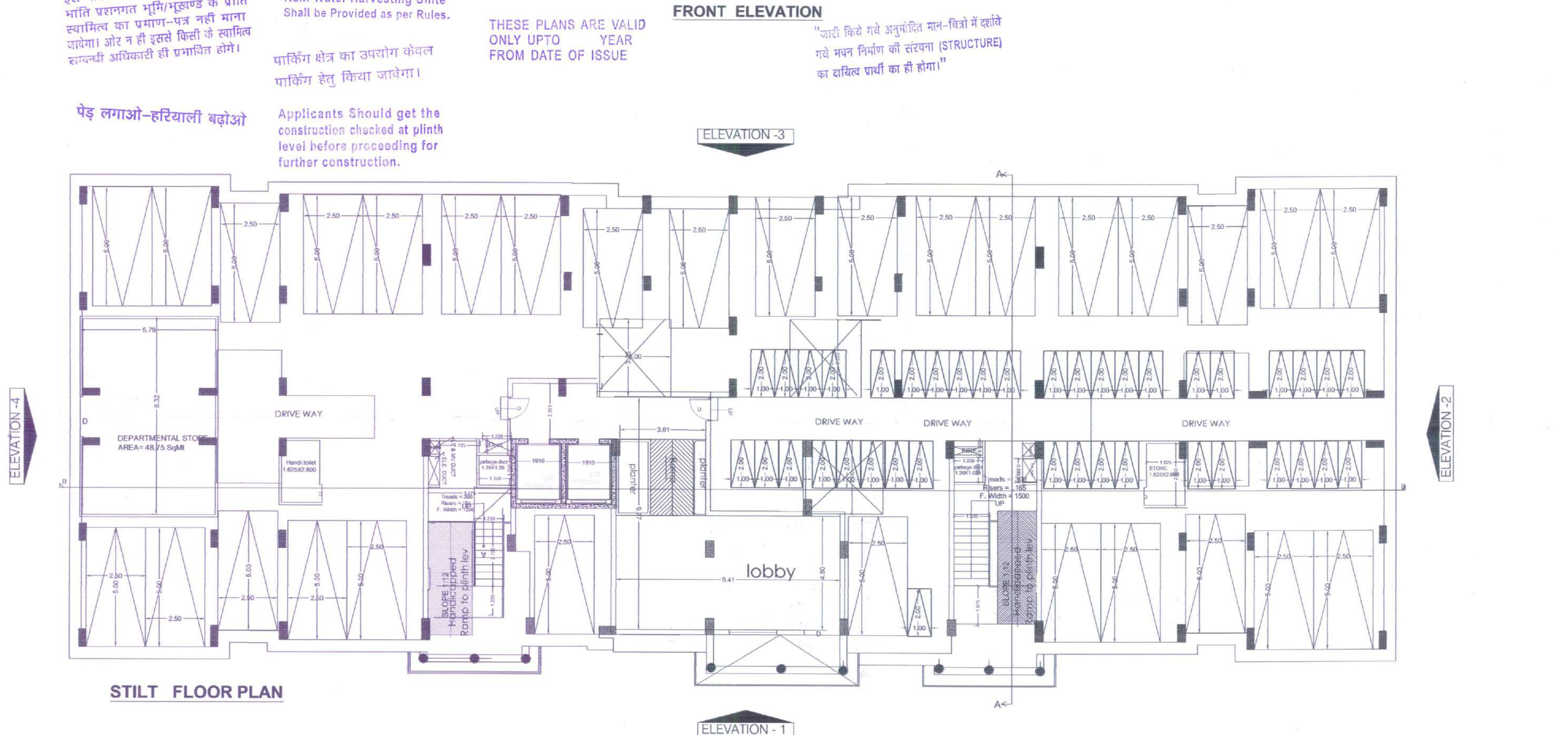
Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in
Parcel -A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd.
Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village
Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:-	ASHIANA NIRMAY AT BHIWADI
------------------	------------------------------

SCALE- 1:100	BLOCK-C1 As/Sanction) <u>Block-7 as/site Residence</u>	NORTH variable/site plan
--------------	---	---------------------------------

SIGNATURE OF ARCHITECT


वरिष्ठ नगर नियोजक
भिवान्डी इटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडॉ)



विद्युत संवा में नलकारी एवं, जल, मल, नििकास
अग्नि शमन आदि सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड
ऑफ इण्डिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के
प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों को
सुनिश्चित किया जावेगा।

ON
 "जारी किये गये अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

STILT FLOOR PLAN

ELEVATION - 1

SHEET NO.08/12

SCHEDULE OF DOOR & WINDOWS						
S.NO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	CHL. LEV.	LIN. LEV.	DESCRIPTION
	D	1.050	2.100	0.00	2.100	
	D1	.910	2.100	0.00	2.100	
	D2	.750	2.100	0.00	2.100	
	SD	3.050	2.350	0.00	2.350	
	SD1	2.000	2.350	0.00	2.350	
	SD2	2.000	2.200	0.150	2.350	
	W1	1.525	1.600	.750	2.350	
	W2	0.900	1.600	.750	2.350	
	W3	.900	1.300	1.050	2.350	
	W4	.600	0.900	1.450	2.350	

PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in
Parcel -A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd.
Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village
Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:- ASHIANA NIRMAY
AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- TYPICAL FLOOR PLAN
SIDE ELEVATION MKD-4
& REAR ELEVATION (MKD-3)

SCALE- 1:100	BLOCK-C1 As/Sanction)	NORTH
	Block-7 as/site	
	Residence	variable/site plan

For ASHIANA HOUSING LTD.

Authorised Signatory

In Compliance with Layout Plan/
Building Plan Committee Dt. 19-01-2014, 1009
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. Dt. 09-03-2014

Regd.Architect : CA/75/886

BISWAJIT SENGUPTA
B. Arch, FIIA, AIID
Regd. Architect : CA/75/886

SIGNATURE OF AUTHORITY | SIGNATURE OF ARCHITECT

सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्रा.

उप नगर नियोजक
बीड़ा, भिवाडी


वरिष्ठ नगर नियोजक
मिवाड़ी इटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडो)



REAR ELEVATION

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्राप्त करने से पूर्व "प्रयोजन प्रमाण पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आवेदक द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

एकीकृत भवन विनिमय 2017 के शिक्षा निर्देशों के अनुसार
वर्षावृत्त संरक्षण का प्रस्ताविक भवन में विशेष प्रावधान
रखा जाये अन्यथा बीदा द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध
निर्माणवाहक को नुकसान हो सकता है।

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का विद्यमानुसार प्रावधान किया जाये।

SIDE ELEVATION MKD-4

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्राप्ति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जावेगा।

Applicants Should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

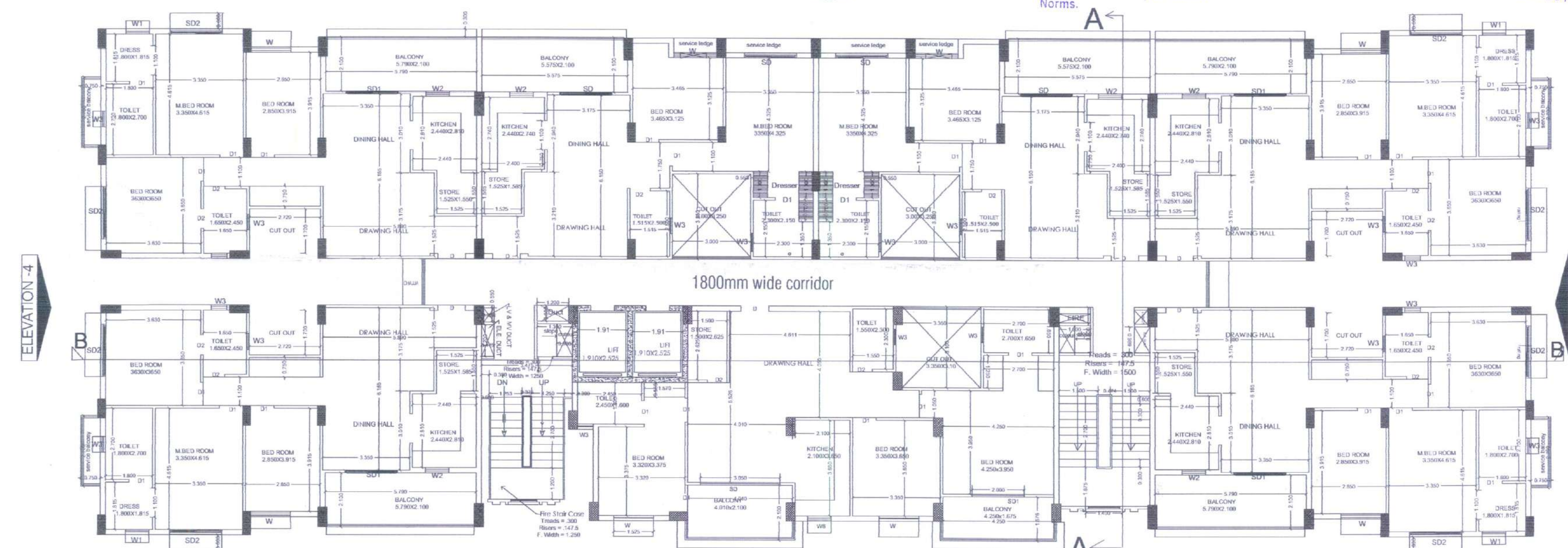
"जारी किये गये अनुसूचित मान-चित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Parking Area Will be Bida Property

Adequate Light and Vantilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

TYPICAL FLOOR PLAN

ELEVATI



सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्रा.

उप नगर नियोजक
बीड़ा, भिवाडी


वरिष्ठ नगर नियोजक
मिवाड़ी इटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण (बीडो)



SECTION AT B-B

SIDE ELEVATION MKD-2

SCHEDULE OF DOOR & WINDOWS							DESCRIPTION
S.NO	TYPE	WIDTH	HEIGHT	CALL. LEV.	FIN. LEV.		
D		1.050	2.100	0.00	2.100		
D1		0.910	2.100	0.00	2.100		
D2		.750	2.100	0.00	2.100		
SD		3.050	2.350	0.00	2.350		
SD1		2.000	2.350	0.00	2.350		
SD2		2.000	2.200	0.150	2.350		
W1		1.575	1.600	.750	2.350		
W2		0.900	1.600	.750	2.350		
W3		.900	1.300	1.350	2.350		
W4		.600	0.900	1.450	2.350		

PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in Parcel -A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 169 (Part), 171 172,173, 174, 179 Village Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:- ASHIANA NIRMAY AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- SECTION AT B-B
SIDE ELEVATION MKD-2
8TH. FLOOR PLAN

SCALE- 1:100	BLOCK-C1 As/Sanction)	NORTH
	Block-7 as/site	
	Residence	

For ASHIANA HOUSING LTD.

Authorised Signatory

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee D1A7-01-2021, 1047.
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No.Dt. 09-03-2024
801-04/2024

Regd.Architect : CA/75/886

BISWAJIT SENGUPTA
B. Arch, FIA, AIIID
Regd. Architect : CA/75/886

SIGNATURE OF AUTHORITY SIGNATURE OF ARCHITECT

सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्र.

उप नगर नियोजक
बीड़ा, मिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
मिवाडी इन्स्टीट्यूट विकास प्राधिकरण (बीड़ा)

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 की पालना में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.02.2011 के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पारदर्शिता प्रमाण पत्र" अनिवार्य प्रमाण पत्र आदेश द्वारा प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

Parking Area Will be Bida Property

संश्लेषण पत्र दिनांक 2017 के लिए निर्दिष्ट के अनुसार बिल्डिंग कोड का प्रावधानों के अनुसार भवन में निर्मित प्रमाण पत्र को अन्तर्गत बीड़ा नगर नियोजक के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आवृत्ति पत्र दिनांक 2017 के निर्देशानुसार निर्माण के लिए निर्माण पत्र को अन्तर्गत बीड़ा नगर नियोजक के निर्देशानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जावे।

विद्युत सेवा में नलकारी एवं,जल,मल,निकास अग्नि शमन आदि सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के प्रावधानों/भवन विनियमों के प्रावधानों/सम्बन्धित विभागों के प्रावधानों के सुमिरित किया जावेगा।

इस भवन में का अनुमोदन किसी भी भाति प्रशस्त भूमि/भूखण्ड को प्राति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

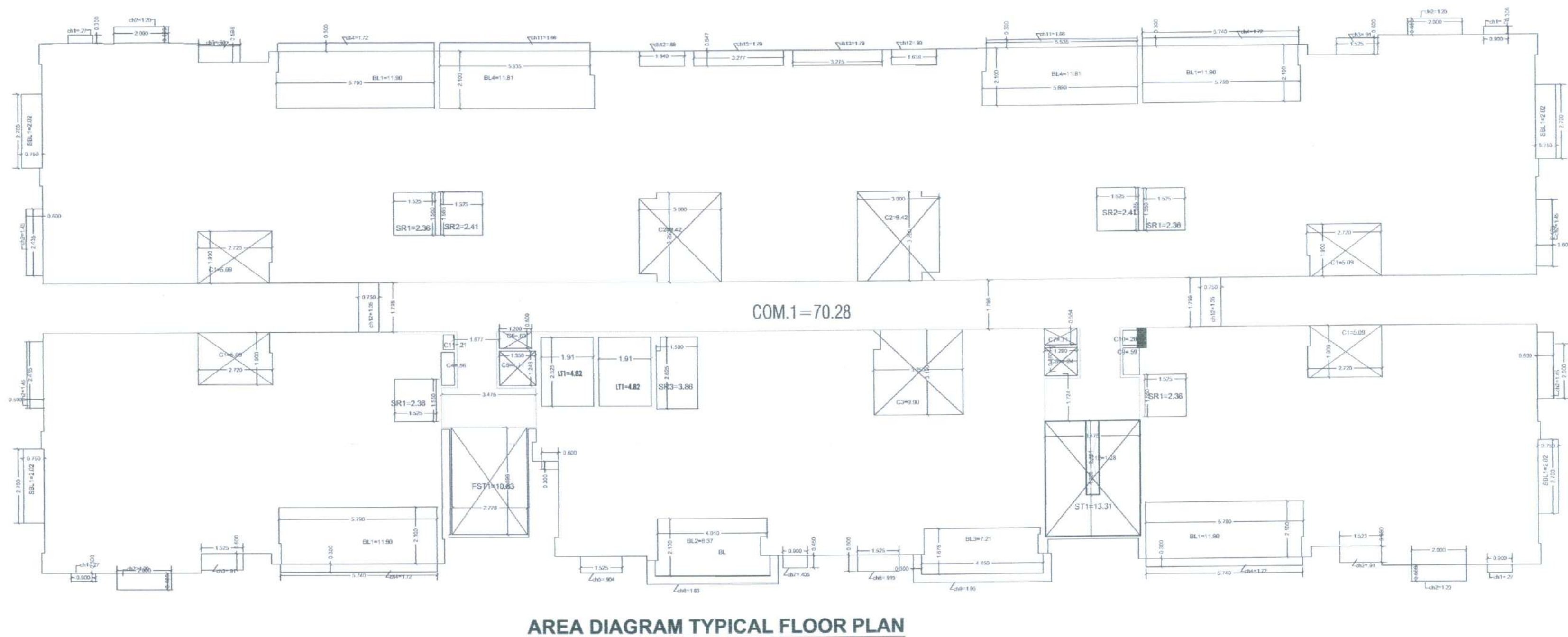
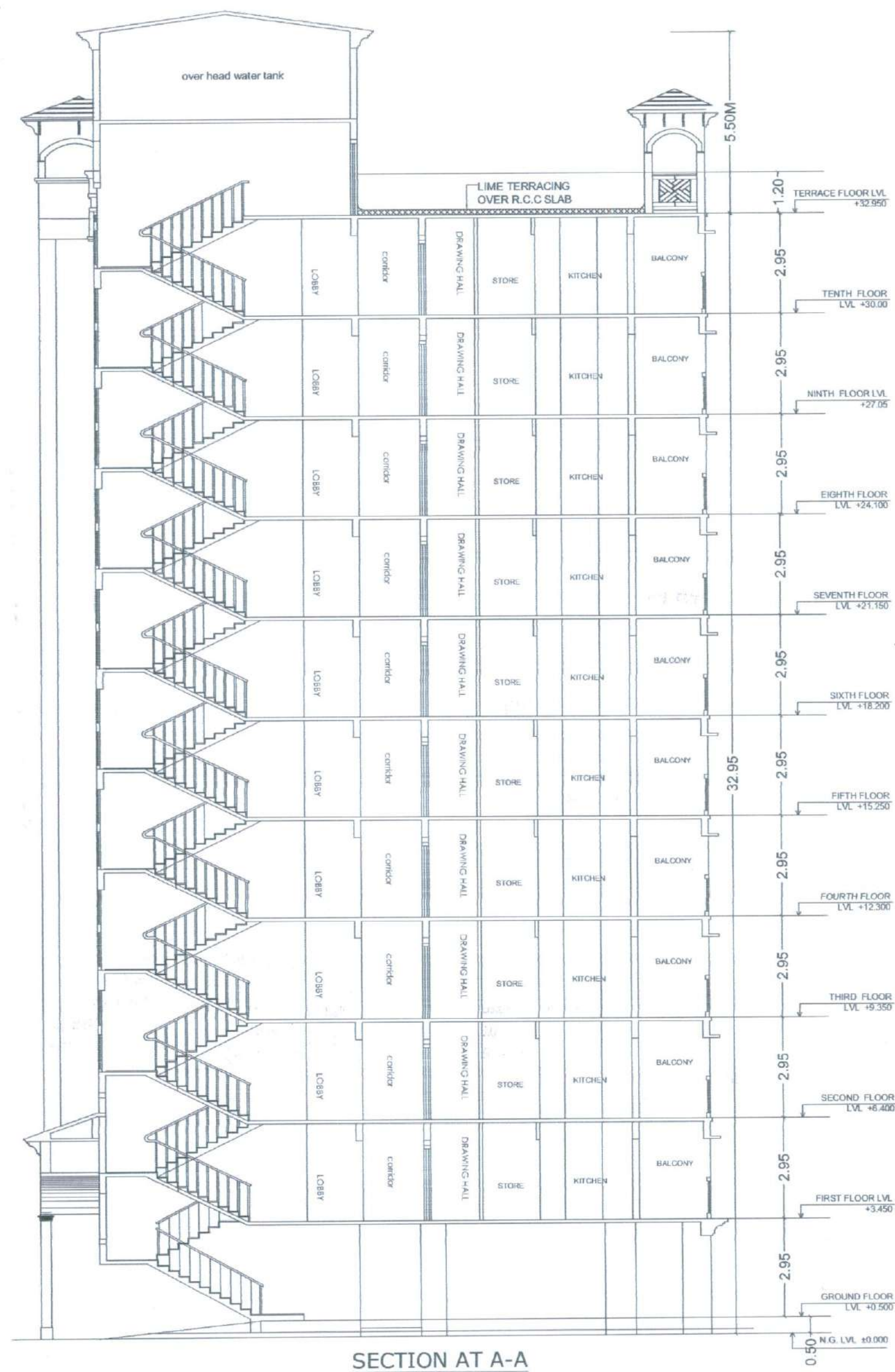
Rain Water Harvesting Unite
Shall be Provided as per Rules,

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

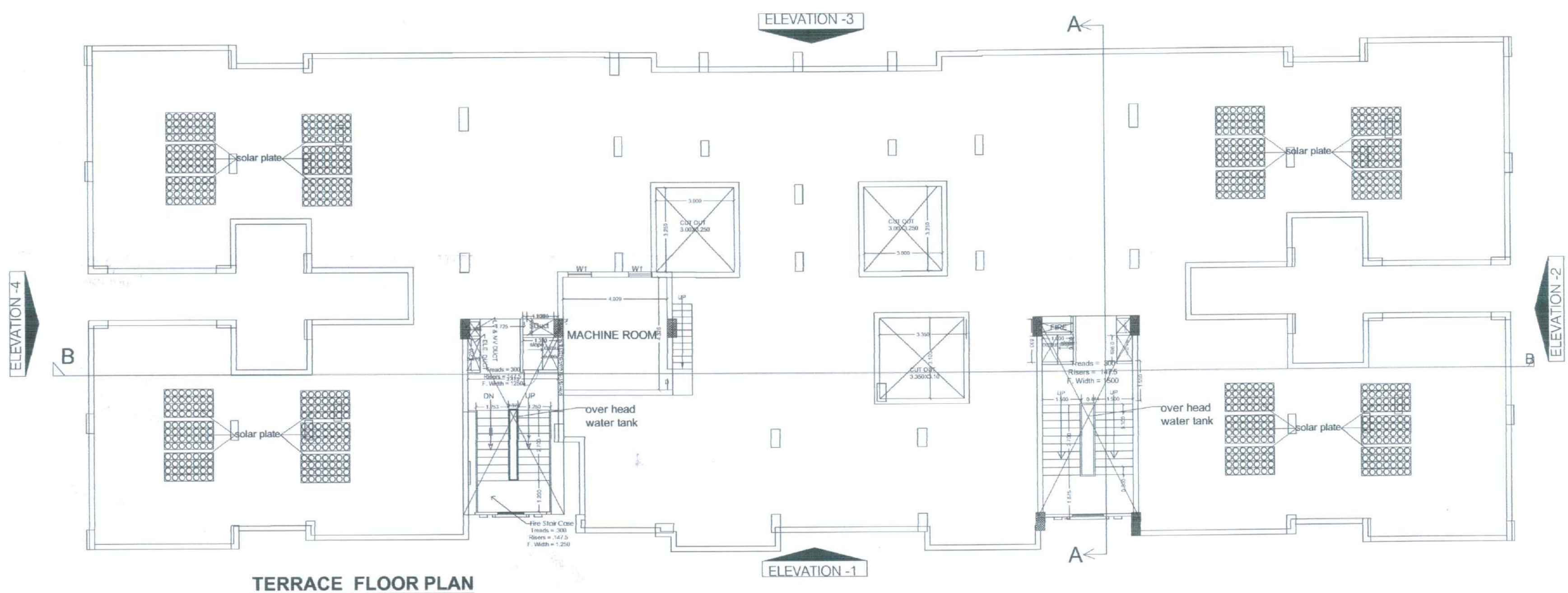
Applicants Should get this construction checked at plinth level before proceeding for further construction.

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO YEAR FROM DATE OF ISSUE

"जारी किये गये अनुमोदित मल-विनो में दर्ज गये भवन निर्माण को संरचना (STRUCTURE) का दायित्व जारी का ही होगा।"



BLOCK - 7(BALCONY 2.10M)													
FLOOR NAME	G.B.U.A.	CHAJJA	CUT OUT	FIRE STAIR	LIFT	BAR	BALCONY	WARDROB	STAIR	CORRIDOR	STORE	TOTAL	F.A.R
BASEMENT													
STILT FLOOR	144.54		6.12			138.42						59.03	comm=48.75sqmt
1st FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
2nd FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
3rd FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
4th FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
5th FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
6th FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
7th FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
8th FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
9th FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
10th FLOOR	1014.00	39.84	56.44	10.83	9.64	897.25	94.91	0.00	13.31	70.28	18.14	196.64	700.61
TERRACE	75.21												
TOTAL	10359.75	398.40	570.52	108.30	96.40	9110.92	949.10	0.00	133.10	702.80	181.40	1966.40	7065.13



PLOT DETAILS:-

Proposed Residential Group housing Ashiana Nirmay in Parcel -A Land at Bhiwadi , ASHIANA HOUSING Ltd. Khasra No. 169 (Part), 171,172,173, 174, 179 Village Thada Teh. Tijara , Dist Alwar Rajasthan

Project:- ASHIANA NIRMAY
AT BHIWADI

Developer:- Ashiana Housing Ltd.

Sheet title:- TERRACE FLOOR PLAN
AREA DIAGRAM
SECTION AT A-A

SCALE- 1:100
BLOCK-C1
As/Sanction)
Block-7 as/site
Residence
NORTH
variable/site plan

For ASHIANA HOUSING LTD.
Authorised Signatory

In Compliance of Layout Plan/
Building Plan Committee Dt.19.09.2021, 10th
One Set of Building Plans
Approved is Issued Along-With
Letter No. Dt.09.09.2021
803-64/2021

Regd.Architect : CA/75/886

BISWAJIT SENGUPTA
B. Arch, FIA, AIID
Regd. Architect : CA/75/886

SIGNATURE OF AUTHORITY SIGNATURE OF ARCHITECT

सहायक नगर नियोजक
मि.इ.वि.प्र.

उप नगर नियोजक
बीडा, भिवाडी

वरिष्ठ नगर नियोजक
मिवाडी इटीमेटेड विकास प्राधिकरण (बीडा)

अनुमोदित

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2005
की पालना में राजा सरकार के परिशिष्ट दिनांक
04.02.2011 के अनुसार 25000 वर्ग मीटर से अधिक
का निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व "पर्यावरण प्रभाव
पत्र" अर्थात् ईकाप पत्र आवेदन प्राप्त किया
करा जायेगा।

Parking Area Will be Bida Property

सर्वोच्च न्यायालय 2017 के फैसले के अनुसार
वर्तमान समय का प्रस्तावित पत्र में दिए गए
रवा जाये अर्थात् बीडा इका पत्र निर्देश के बिना
निर्माण प्रारम्भ नहीं करे।

सर्वोच्च न्यायालय 2017 के
फैसले के अनुसार निर्माण प्रारम्भ करने से
पूर्व पर्यावरण प्रभाव पत्र (ईकाप) प्राप्त करना
जो कि निर्माण प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक है।

Adequate Light and Ventilation
to be Provided as per N.B.C.
Norms.

सर्वोच्च न्यायालय 2017 के फैसले के अनुसार
वर्तमान समय का प्रस्तावित पत्र में दिए गए
रवा जाये अर्थात् बीडा इका पत्र निर्देश के बिना
निर्माण प्रारम्भ नहीं करे।

सर्वोच्च न्यायालय 2017 के फैसले के अनुसार
वर्तमान समय का प्रस्तावित पत्र में दिए गए
रवा जाये अर्थात् बीडा इका पत्र निर्देश के बिना
निर्माण प्रारम्भ नहीं करे।

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी
भाति प्रशस्तगत भूमि/भूखण्ड के प्रति
स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना
जायेगा। और न ही इससे किसी के स्वामित्व
सम्बन्धी अधिकारी ही प्रभावित होंगे।

पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

Rain Water Harvesting Unit
Shall be Provided as per Rules.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल
पार्किंग हेतु किया जायेगा।

Applicants should get the
construction checked at plinth
level before proceeding for
further construction.

THESE PLANS ARE VALID
ONLY UPTO YEAR
FROM DATE OF ISSUE

"जहाँ कितने गे अनुमोदित मान-चित्रों में दर्शाये
गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE)
का स्वरूप प्रतीक का ही होगा।"

कार्यालय नगर विकास न्यास भिवाडी

क्रमांक 8959/18

दिनांक 15/01/2018

संशोधित भवन निर्माण अनुमति पत्र

मै0 आशियाना हाउसिंग लि0
4 फ्लोर, आशियाना विलेज सेन्टर,
वसुन्धरा नगर, भिवाडी

विषय:- मै0 आशियाना हाउसिंग लि0 ग्राम थडा तह0 तिजारा के ख0न0 152 से 156, 159 से 163, 355/165, 357/166, 168, 169, 171 से 174, 179 एवं ग्राम उदयपुर के खसरा नं0 197, 199, 201 से 205, 208 से 212, 227, 425, 426, 427, 178 से 183, 213, 215, 217, 222, 224, 225, 229, 232, 233, 416, 417, 421, 422 कुल किता 54 रकबा 20.58 है0 में से पार्सल ए क्षेत्रफल 35789.00 वर्ग मी0 के आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) उपयोग हेतु संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति बाबत।

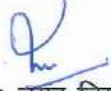
सन्दर्भ:- आपका आवेदन पत्र दिनांक 28.06.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपका आवेदन दिनांक. 28.06.2017 के अनुसार ग्राम थडा तह0 तिजारा के ख0न0 152 से 156, 159 से 163, 355/165, 357/166, 168, 169, 171 से 174, 179 एवं ग्राम उदयपुर के खसरा नं0 197, 199, 201 से 205, 208 से 212, 227, 425, 426, 427, 178 से 183, 213, 215, 217, 222, 224, 225, 229, 232, 233, 416, 417, 421, 422 कुल किता 54 रकबा 20.58 है0 में से पार्सल ए के खसरा नं0 169 पार्ट, 171 से 174, 179 ग्राम थडा तह0 तिजारा क्षेत्रफल 35789.00 वर्ग मी0 आवासीय (ग्रुप हाउसिंग) उपयोग हेतु संशोधित भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु न्यास की भवन मानचित्र समिति की 61वी बैठक दिनांक 27.10.2017 के एजेण्डा नं0 01 पर लिये गये निर्णय के अनुसार भवन मानचित्र निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत किए जाते हैं।

01. यह स्वीकृति आवंटन पत्र/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन, मूल स्वीकृति से अधिकतम 5 वर्ष हेतु मान्य होगी तथा पूर्व स्वीकृति की समस्त शर्तें मान्य होगी।
02. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं ग्रेटर भवन विनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
03. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जाएगा।
04. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति प्रचलित मास्टर प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, न्यास को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी न्यास में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
05. उक्त स्वीकृति के कारण यदि न्यास को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
06. विकासकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल, जी+1 एवं समय समय पर निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से न्यास को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को निरस्त समझा जावेगा।
07. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई एवं स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
08. स्वामी तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में निर्माण कार्य करवायेगा। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में न्यास को देनी होगी।
09. स्वीकृत मानचित्र मौके पर, निर्माण पूर्ण होने तक उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।

10. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
11. आवासीय भवन हेतु आन्तरिक विकास यथा जल वितरण, ड्रेनेज, सीवरज, विद्युत वितरण, सडकें, टेलीफोन लाईन, वर्षा जल संग्रहण, संरचना, स्नानाघर, तथा रसोई के अवशिष्ट जल के शुद्धिकरण हेतु रिसाईकिलिंग की व्यवस्था आदि की समस्त जिम्मेदारी विकास कर्ता की होगी।
12. प्रस्तुत भवन मानचित्रों में वर्षा जल संग्रहण संरचना एवं इस से संबंधित प्रावधानों की पालना ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम 2013 के प्रावधान अनुसार इसकी पालना सुनिश्चित कि जावे।
13. पार्किंग का प्रावधान ग्रेटर भिवाडी भवन विनियम, 2013 के अनुरूप रखा जाना होगा एवं वाहनो के घूमने/पार्क करने हेतु आवश्यक प्रावधान आवेदक/वास्तुविद द्वारा सुनिश्चित करने होंगे मानचित्र में दर्शाये गये अनुसार सैट बैक एवं स्टिपल्ड क्षेत्र पार्किंग हेतु ही आरक्षित रखा जावेगा। इस में किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।
14. भवन मानचित्र जारी करने के उपरान्त अन्य शुल्क/ बकाया राशि न्यास द्वारा मांग की जाती है तो विकासकर्ता द्वारा वह राशि न्यास कोष में जमा करानी होगी।
15. भवन विनियमों में उल्लेखित अन्य सम्बन्धित प्रावधानों की पालना विकास कर्ता द्वारा की जायेगी।
16. भवन का कुर्सी तल, सडक के तल से न्यूनतम 0.5 मी० रखा जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. भूखण्ड में प्रत्येक 100 वर्ग मी० क्षेत्रफल के लिए कम से कम एक वृक्ष के अनुपात में बड़े वृक्ष जो 6 मीटर या इससे अधिक उँचाई ग्रहण कर सकते हों, लगाने होंगे।
18. न्यास की अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किये जा रहे निर्माण का निरीक्षण कर सत्यापन किया जावेगा।
19. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधान के अनुसार अग्नि शमन सुरक्षा संबंधित समस्त प्रावधान सुनिश्चित करने होंगे।
20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा।
21. भवन विनियम 2013 एवं नेशनल बिल्डिंग कोड, आई.एस. कोड के प्रावधान के अनुसार भूकम्परोधी भवन हेतु भवन संरचना डिजाइन की जाकर तदनुसार संरचनात्मक सुरक्षित भवन बनाये जाने की जिम्मेदारी आवेदक एवं वास्तुविद की होगी।
22. भूखण्ड पर निर्माण कार्य प्ररम्भ करने से पूर्व प्राविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्राप्त कर आवेदक द्वारा न्यास में प्रस्तुत करगा सुनिश्चित किया जावेगा तथा अधिवास प्रमाण पत्र से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति नियमानुसार प्राप्त करनी होगी।
23. पर्यावरण विभाग भारत सरकार की अधिसूचना एवं प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने तथा तदनुसार प्रावधान रखने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
24. न्यास द्वारा पूर्व स्वीकृति के अनुसार EWS/LIG की लॉटरी विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत नम्बरींग अनुसार निकाली जा चुकी है। अतः उसकी पालना विकासकर्ता द्वारा जानी होगी।
25. विकासकर्ता द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल कोर्ट द्वारा समय समय पर जारी गाइडलाइन्स की पालना सुनिश्चित की जावेगी।

ऊपर वर्णित शर्तों एवं भवन विनियम के प्रावधानों के तहत अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।


वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी

संलग्न:- भवन मानचित्र (15)

क्रमांक: आयोजना/

दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, नगर विकास न्यास, भिवाडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वरिष्ठ नगर नियोजक
नगर विकास न्यास,
भिवाडी